2025/148

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री योगेश रावल पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी जय महादेव गली कालन्द्री
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कालन्द्री

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 24 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालन्द्री को दिनांक 10.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.09.2024 को ग्राम पंचायत कालन्द्री में एक आवेदन किया था, उक्त आवेदन पत्र की प्रति एवं उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए उत्तर की प्रति तथा श्रीमती मंजुला पत्नि श्री चम्पालालजी जैन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में दिए गए आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति एवं श्रीमती मंजुला को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालन्द्री को दिनांक 10.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 06.09.2024 को ग्राम पंचायत कालन्द्री में एक आवेदन किया था, उक्त आवेदन पत्र की प्रति एवं उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए उत्तर की प्रति तथा श्रीमती मंजुला पत्नि श्री चम्पालालजी जैन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में दिए गए आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति एवं श्रीमती मंजुला को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालन्द्री से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सू[illegible]री ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालन्द्री के [illegible] नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में [illegible] की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible]र होकर नंबर से कम हो (हस्ताक्षर) (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:00:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner